न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 08 / 2024 वाद

दायर दिनांक 10.01.2024

1. देवीलाल पुत्र भगवानलाल जाति जटिया आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
2. बदामीदेवी पत्नी भगवानलाल जाति जटिया आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
3. सोसर पत्नी नाराण जी जाति जटिया, आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
4. गोपाल पुत्र भगवानलाल जाति जटिया, आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
5. कमलेश पुत्र भगवानलाल जाति जटिया, नाबालिग संरक्षक बदामीदेवी पत्नी भगवानलाल जाति जटिया आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

उनवान

1. श्यामुडी पत्नी नन्दलाल जाति जटिया आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
2. गिट्ठु पिता हजारी जाति जटिया, आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
3. भूमिधारी तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री गोपाल दाधीच —वादी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन जिला-चित्तौडगढ़

—ः वाद पत्र अन्तर्गत 53, 188 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः **17.09.2025**

—ःनिर्णयः—

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि मौजा लांगच पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के सामलाती खातेदारी कब्जेकाश्त उपयोग की कृषि भूमि हाल जमाबन्दी दर्ज खाता सं0 260 से आराजी नम्बर 160, 161, 162, 163, 164, 165, 1848/165 कुल किता 7 कुल रकबा 2.04 हैक्टर स्थित है। व प्रार्थना की कि बंटवाड़ा आराजीयात की डिक्री बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण सहखातेदारान इस आशय की जारी फरमावें कि मौजा लांगच पटवार हल्का लांगच, तहसील कपासन के हल्के बैरूनी के उपरोक्त वर्णित वादीगण एवं प्रतिवादीगण के सामलाती खातेदारी कब्जेकाश्त उपयोग की कृषि भूमि आराजीयात का मौके कब्जे अनुसार बंटवाड़ा फरमा वादीगण का उल्लेखित कुलिया हिस्सा मौके कब्जे अनुसार जुज रखते हुए बंटवाडा सादर फरमावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नहीं होने से पूर्व में दिनांक 06.11.2024 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन, जिला-चित्तौडगढ

उक्त वाद पत्र में दिनांक 06.12.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 01.07.2025 से प्रस्तुत की गई। जो शा0फा0 की गयी। बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा आदेशिका पर तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन कर हस्ताक्षर किये गये। अतः वादी अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 17.09.2025 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा लांगच पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के सामलाती खातेदारी कब्जेकाश्त उपयोग की कृषि भूमि हाल जमाबन्दी दर्ज खाता सं0 260 से आराजी नम्बर 160, 161, 162, 163, 164, 165, 1848/165 कुल किता 7 कुल रकबा 2.04 हैक्टर स्थित है, में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 01.07.2025 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है–

1. देवीलाल (बालिग), कमलेश, गोपाललाल (ना0बा0) पिता भगवानलाल नाबालिग संरक्षक माता बदामीदेवी, बदामीदेवी पत्नी भगवानलाल जाति जटिया हिस्सा 1/2, सोरार पत्नी नाराण हिस्सा 1/2 जाति जटिया सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	160/2	0.26	बारानी 2
2	1848/165	0.23	बारानी 2
योग	कुल किता–02	0.49	

2. मिठू पुत्र हजारी हिस्सा 1/2, श्यामुडी पत्नी नन्दलाल हिस्सा 1/2 जाति जटिया सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	160/1	0.03	बारानी 2
2	161	0.19	बारानी 2
3	162	0.33	बारानी 2
4	163	0.43	बारानी 2
योग	कुल किता–04	0.98	

3. देवीलाल (बालिग), कमलेश, गोपाललाल (ना0बा0) पिता भगवानलाल नाबालिग संरक्षक माता बदामीदेवी, बदामीदेवी पत्नी भगवानलाल जाति जटिया हिस्सा 1/6, सोरार पत्नी नाराण हिस्सा 1/6 जाति जटिया सा0 देह खातेदार, मिठू पुत्र हजारी हिस्सा 1/3 श्यामुडी पत्नी नन्दलाल हिस्सा 1/3 जाति जटिया सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	164	0.14	रास्ता
2	165	0.43	नाडी
योग	कुल किता–02	0.57	

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 17.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

(राजेश [illegible])
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी कपासन